



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

Regional Office, City Road, Pratapgarh - 230001

E-Mail : ropprat@barodarrb.co.in

सार्वजनिक बिक्री नीलामी सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या
नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (सें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (सें) / गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / सम्पत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट क कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (सें) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति को प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (सें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेडरस आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 03.03.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़ में मुहुरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पुरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 04.03.2023 को खोली जायेगी।

क्र० सं०	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य (रु०) धरोहर राशि (रु०)
----------	---	-------------------	--	--------------------	---

शाखा : प्रतापगढ़, जिला: प्रतापगढ़ खाता सं०- 53450400000245 & 534506000004077

1.	<p>ऋणकर्ता:- मैसर्स गुप्ता कोल्ड ड्रिंक एजेंसी प्रो०- श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र भगौती प्रसाद गुप्ता, पता:- ग्राम/मोहल्ला- गायघाट रोड, दहिलामऊ, जिला: प्रतापगढ़ (उ० प्र०)</p> <p>जमानतकर्ता:- 1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री हीरालाल पता:- ग्राम / मोहल्ला गाजी चौराहा बलीपुर पोस्ट और जिला-प्रतापगढ़</p> <p>2. श्रीमती प्रतापी देवी पत्नी भगौती प्रसाद गुप्ता पता:- ग्राम/मोहल्ला- दहिलामऊ, तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़। 230001</p> <p>3. श्री भगौती प्रसाद गुप्ता पुत्र बचई पता:- ग्राम/मोहल्ला- ग्राम- दहिलामऊ, तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़। 230001</p>	<p>सभी भाग व पार्लस से मिलकर की सम्पत्ति का भूमि और भवन, सुरक्षा का विवरण:- प्राथमिक: शून्य, संपार्श्विक प्रतिभूतियां संपत्ति -1 साप्थिक बंधक का भूमि एवं भवन का निर्माण प्लॉट नंबर 106/1 एवं 106/2 पर, क्षेत्रफल 2720 वर्ग फीट जो ग्राम - दहिलामऊ, तहसील - सदर, जिला: प्रतापगढ़ में स्थित है।</p> <p>स्वामित्व:- श्रीमती प्रतापी देवी पत्नी गुप्ता, पता- ग्राम/मोहल्ला- ग्राम- दहिलामऊ, तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़ 230001</p> <p>चौहद्दी:- पूर्व: सारता 16'0" चौड़ा फिर शांति देवी पत्नी बैरागी प्रसाद शर्मा का घर व चार दीवारी, पश्चिम: राम बहादुर पाल का घर, उत्तर: राम चंद्र और राम अजोर शर्मा का घर, दक्षिण: रोड (प्रतापगढ़ से गरवारा)</p> <p>संपत्ति -2 साप्थिक बंधक का भूमि एवं भवन का निर्माण प्लॉट नंबर 102 min पर, क्षेत्रफल- 1360.00 वर्ग फीट</p> <p>ग्राम- दहिलामऊ, तहसील- सदर, जिला: प्रतापगढ़ में स्थित है। स्वामित्व- श्री भगौती प्रसाद पुत्र बचई पता - ग्राम/मोहल्ला - ग्राम - दहिलामऊ, तहसील - सदर, जिला: प्रतापगढ़ 230001</p> <p>चौहद्दी:- पूर्व: कन्हई पाल का घर, पश्चिम: लिंग रोड पूरे ईश्वरनाथ फिर मकान बहराइच, उत्तर: रोड (गरवारा से प्रतापगढ़), दक्षिण: कन्हई पाल का घर।</p>	<p>मांग सूचना की तिथि</p> <p>01.10.2022</p> <p>अधिग्रहण सूचना की तिथि</p> <p>14.12.2022</p>	<p>रु. 5000000/- + ब्याज रिवर्सल</p> <p>रु. 220532.48/- व 26/09/2022 से ब्याज व</p> <p>रु.450000/- + ब्याज रिवर्सल</p> <p>रु. 47696/- व 26/09/2022 से देय ब्याज व अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)</p>	<p>सम्पत्ति 1</p> <p>1,18,00,000/-</p> <p>सम्पत्ति 2</p> <p>52,50,000/-</p> <p>5,25,000/-</p>
----	--	--	---	--	---

बिक्री के नियम एवं शर्तों: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहुरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अंतिम में प्रतापगढ़ में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक के पक्ष में डीडी / बैंक चैक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंक चैक के रूप में आगे दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/ सर्वोच्च बोली को रद्दीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/ देनदारियों/ भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्ट्याम ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उधर धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं हो लें। वे दोहहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गए लिंक यानी <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php>

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना
कर्जदारों/ गारंटीदाताओं/ कानूनी वारिसों/ बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक:- 23.01.2023 स्थान:- प्रतापगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक